साप्ताहिक

बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | R. No.: **MAH-HIN-10169**

वर्ष : 1 | अंक : 45 | गोंदिया : गुरुवार, 17 से 23 जुन 2021 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : रु. 5

देवरी तहसील के अनेक ग्रामों में ग्राम सेवक नहीं रहते उपस्थित

नियमों का हो रहा उल्लंघन, कैसे हो ग्राम का विकास?

देवेंद्र सेलोकर – देवरी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में से अनेकों ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवक मुख्यालय व ग्रामों में उपस्थित नहीं रहते। जिससे ग्राम के विकास पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से किए जाने के बावजूद इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है।

गौरतलब है कि ग्राम के विकास के लिए ग्राम सेवक व सरपंच महत्वपूर्ण होता है। किंतु देवरी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले अनेक ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक न तो मुख्यालय में ही रहते हैं, और न ही ग्रामों के कार्यालयों में उपस्थित रहते हैं। अनेक ग्राम सेवक अपने कार्यक्षेत्र से ६०-७० किलोमीटर दूर रहते हैं। जिससे उनके आने-जाने में ही काफी समय चला जाता है। इसके चलते अनेक ग्राम पंचायतों के विकास कार्य किस प्रकार आगे बढ़े, इस पर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण हो रहा है।

नियमों का उल्लंघन

जिला परिषद के माध्यम से राज्य शासन व केंद्र शासन की योजनाएं चलाई जाती है। जिसका लाभ ग्राम पंचायतों के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है, ऐसा शासन का नियम है। इसके लिए जिला परिषद के माध्यम से नियुक्त किए गए ग्राम सेवकों को मुख्यालय में रहना अनिवार्य होता है। किंतु देवरी तहसील में नियुक्त किए गए अनेक ग्रामसेवक मुख्यालय में न रहकर अपनी अनुपस्थिति के झूठे प्रमाणपत्र देते रहते हैं। गांवस्तर पर ग्राम सेवक को ग्राम के विकास के लिए मुख्यालय में रहना बंधनकारक है। यह ग्राम विकास विभाग का नियम भी है। लेकिन उपरोक्त नियमों का उल्लंघन देवरी तहसील में धडल्ले से होता दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस ओर अनदेखी की जा रही है।

ग्राम सेवक ही कर रहे ठेकेदारी

देवरी पंचायत समिति के अंतर्गत ५४ ग्राम पंचायतों का समावेश है। जिसमें ककोड़ी, चिचगढ़, पालंदुर, पुराडा, लोहारा, सिंधीबिरी, शिलापुर आदि बड़ी ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी का होना अनिवार्य है। किंतु वे वहां उपस्थित नहीं रहते। ग्राम के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनाएं शासन द्वारा जारी की गयी है, इसकी पुरी जानकारी ग्राम सेवकों को होती है। उन कार्यों की प्रशासनिक निविदा भरकर कुछ ग्राम सेवक तो खुद ही ठेकेदारी करने लग गये हैं। जो शासन के नियमों का उल्लंघन है।

ग्राम सभा व मासिक सभा में नहीं होते उपस्थित

ग्राम पंचायतों में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महाराष्ट्र दिवस आदि अवसर पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी ग्रामसेवक उपस्थित नहीं होते। इतना ही नहीं अनेकों बार तो ग्राम सभा व मासिक सभा में भी ग्राम सेवक उपस्थित नहीं होते। ग्राम में कौन-सा वार्ड कहां है, कौन से कार्य करना है? इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं होती। जिसके चलते ग्रामीणों के अनेक कार्य प्रलंबित रहते हैं।

मुख्यालय में अनुपस्थित रहने वाले ग्राम सेवकों पर होगी कार्रवाई

शासन के निर्णय अनुसार ग्राम सेवक को मुख्यालय में रहना अनिवार्य है। यदि कोई ग्राम सेवक मासिक सभा में उपस्थित नहीं होता तथा नियमित कार्य नहीं करता तो इस संदर्भ में सरपंच द्वारा शिकायत किए जाने पर उन पर तत्काल कार्यवाही होंगी। जो ग्राम सेवक मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं उनकी भी शिकायत प्राप्त होने पर शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जाएंगी।

– **चंद्रमणि मोडक**, खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवरी

पूर्व पार्षद दिलीप गोपलानी को उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत

मंत्रालय ६ सप्ताह में मामले का करें निर्णय, उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश

गोंदिया नगर परिषद प्रभाग १५ के पुर्व पार्षद दिलीप गोपलानी की सदस्यता अतिक्रमण के चलते जिलाधिकारी द्वारा निर्णय देते हुए रद्द की गई थी। इस संदर्भ में गोपलानी द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में रिट याचिका दाखिल की थी। जिसमें न्यायालय द्वारा राहत न देते हुए उपरोक्त मामले को नगर विकास मंत्रालय द्वारा ६ सप्ताह में सुनवाई कर मामले का निर्णय करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि गोंदिया नगर परिषद के पूर्व पार्षद दिलीप गोपलानी ने सदस्यता रद्द होने के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ में याचिका क्रमांक १९३२/२०२१ जिलाधिकारी गोंदिया के खिलाफ नगर पालिका, नगर पंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ की धारा ४४ के तहत जिलाधिकारी गोंदिया द्वारा १२ अप्रैल २०२१ को दिए गए आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए उपरोक्त मामला नगर विकास मंत्रालय के मंत्री के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया। उपरोक्त मामले को ६ सप्ताह में मंत्रालय द्वारा सुनवाई कर हल करने का आदेश उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश मनीष पिताले-देशपांडे ने दिया। साथ ही उपरोक्त मामले के हल होने तक पार्षद का रिक्त पद को भरने तथा उपचुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुये गोपलानी द्वारा जारी की गई याचिका को खारिज किया। उपरोक्त मामले में सरकार की ओर से पैरवी एजीपी ए. एम.कडुलकर, प्रतिवादी महेश वाधवानी की ओर से एडवोकेट अनुप गिल्डा, प्रमोद बापट, दुर्गा डोये ने पक्ष रखा। उपरोक्त मामले में मंत्रालय क्या निर्णय लेता है? इस पर शहरवासियों की नजरें टिकी हुई है।

मंत्रालय में भी मजबूती से रखेंगे पक्ष

पूर्व पार्षद दिलीप गोपलानी प्रकरण में आरटीआई कार्यकर्ता महेश वाधवानी ने बताया कि उपरोक्त मामले का खुलासा कर जिलाधिकारी के समक्ष रखा। उसके पश्चात केविड याचिका दाखिल कर उच्च न्यायालय में जिस मजबूती से अपना पक्ष रखा है। ठीक उसी तरह वह मंत्रालय में भी अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। जिससे पूर्व पार्षद को किसी भी प्रकार की राहत ना मिले।

मंत्रालय में याचिका करेंगे दाखिल

इस मामले में पूर्व पार्षद दिलीप गोपलानी ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त मामले की अपील नगर विकास मंत्रालय में की जाएंगी। उन्हें विश्वास है कि वहां न्याय मिलेगा। साथ ही न्यायालय द्वारा तब तक उनके रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया पर भी रोक लगाई गई है।

८ लाख ९० हजार नगद राशि के साथ १ हिरासत में

गोंदिया रेलवे स्टेशन की पुलिस इस समय एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। एक माह में धड़ाधड़ हो रही कार्रवाई से रेलवे पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वही उसके इस कार्यों की सरहाना की जा रही है। मंगलवार १५ जून को रेलवे पुलिस ने एक सदिग्ध व्यक्ति को नोटों से भरी बैग के साथ पकड़ कर हिरासत में लिया।

गौरतलब है गोंदिया रेलवे स्टेशन की पुलिस ने प्लेटफार्म में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु अपनी गश्त बढ़ा दी है। इसी गश्ती के दौरान रेलवे पुलिस ने कई मामलों में आरोपियों की धरपकड़, रुपयों की आवाजाही करने आदि मामलों पर कार्रवाई कर मामले सामने लाये हैं। इसी गश्ती के दौरान १५ जून को रेलवे पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से लाखों रुपये बरामद किए है।

जानकारी के अनुसार रेलवे पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप गोंडाने, पुउपनि प्रवीण भीमटे, पोहवा मनोज गुप्ता, पोकां चंद्रकांत भोयर, कुणाल गिरंतवार प्लेटफार्म नंबर १ पर गश्त कर रहे थे। तभी एक नीली शर्ट और नीली जीन्स पहना व्यक्ति एक काला बैग कंधे पर लटकाए संदिग्ध परिस्थितियों में जाते दिखाई दिया। वो पुलिस को देखकर नजर बचाकर भागने का प्रयास कर रहा था, तभी पुलिस स्टाफ ने उसे पकड़ लिया।

पूछताछ में उसने अपना नाम राजकुमार प्रभुलाल देवांगन, शीतला मंदिर गली वार्ड नं ७ शंकरपुर, राजनांदगांव (छग) निवासी बताया। बैग में रुपये होने की जानकारी देकर ये रुपये कहा से लाने व कहां लेजाने में असमर्थता दर्शायी। आगे की कार्रवाई हेतु उसे रेलवे पुलिस स्टेशन लाया गया। जहां दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में नोटों की गिनती की गई। १००, २००, ५०० और २००० हजार के कुल ८ लाख ९० हजार ७५० रुपये बरामद हुए। किसी भी तरह से नोटों के मालकी हक व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर इसकी जानकारी आयकर विभाग गोंदिया को दी गई। आगे की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जा रही है।

उपरोक्त कार्रवाई रेलवे पुलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, अपर पुलिस अधीक्षक वैशाली शिंदे, एसडीपीओ वी. शिंदे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप गोंडाने, पुउपनि प्रवीण भीमटे, पोहवा मनोज गुप्ता, पोकां चंद्रकांत भोयर, कुणाल गिरंतवार, संजय नेवारे, किशोर ईश्वर, अरुण गोंधोड़े, अजय बर्वे, धीरज घरडे, सुनीता मडावी ने की।

अधिकृत एजेंट को रेलवे ई-टिकटों की कालाबाजारी करते धर दबोचा

रेलवे के आईआरसीटीसी का अधिकृत एजेंट होने के बावजूद पर्सनल आईडी से रेलवे की आरक्षित ई-टिकट बनाकर कालाबाजारी करने की गुप्त जानकारी आरपीएफ के क्राइम ब्रांच को मिली। सूचना के आधार पर गोंदिया तहसील के नवेगांव थाना दवनीवाडा निवासी अनिल बघेले को हिरासत में लिया गया। जिसकी जांच किए जाने पर उसने अपनी पर्सनल आईडी से बनाई गई १६ नग ई-टिकट जिसकी कीमत ११३४० रुपए थी, जप्त की गई। वह प्रत्येक टिकट पर यात्री से ५० रुपए की अतिरिक्त राशि वसूल कर रहा था। उपरोक्त कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक अनिल पाटील, उप निरीक्षक के. के. दुबे, प्रधान आरक्षक आर.सी. कटरे द्वारा की गयी। आरोपी के खिलाफ १४३ के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को रेलवे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

विदर्भ के कॉलेजों में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर कार्रवाई की मांग

मंत्री उदय सामंत को युवासेना ने सौंपा निवेदन

गोंदिया – महाराष्ट्र के शिक्षा व उच्च तकनीकी मंत्री उदय सामंत के १५ जून को गोंदिया आगमन पर युवा सेना द्वारा निवेदन देकर विदर्भ के जूनियर व सीनियर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले की जांच कर कार्रवाई की मांग की।

गौरतलब है कि विदर्भ में आगामी कुछ वर्षों में जूनियर व सीनियर कॉलेज में शिक्षक व कर्मचारियों की भर्ती में भारी घोटाला सामने आ रहा है। जिसमें महाविद्यालय में शिक्षा समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों व परिजनों की नियुक्ति प्राध्यापक, शिक्षक व कर्मचारियों के रुप में की है। इन सभी भर्तियों में भारी घोटाला सामने आ रही है। जिसकी नियमानुसार जांच कर जन शिक्षण संस्थाओं में संस्था के पदाधिकारी संचालक के रिश्तेदार नौकरी पर हैं, उन पर कार्यवाही की जाए। उपरोक्त कार्रवाई होने पर पात्र विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा। साथ ही नागपुर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ व अमरावती विद्यापीठ से जो विद्यार्थियों ने पदवी ली है, उनका पंजीयन महाराष्ट्र शासन के रोजगार कार्यालय में किया जाए जिससे उन्हें नौकरी में अवसर प्राप्त होगा इन महत्वपूर्ण विषयों पर जल्द से जल्द न्याय देने की अपेक्षा युवा सेना द्वारा की गई है। उपरोक्त निवेदन युवा सेना के जिला समन्वयक श्रीकांत (सोनू) चंद्रवंशी, शहर समन्वयक कृषभ मिश्रा, युवा शहर अधिकारी आशु मक्कड़ द्वारा दिया गया।

कोरोना की लड़ाई में गोंदिया जिला राज्य में बना आदर्श जिला - मंत्री उदय सामंत

फ्रंटलाईन कोरोना योद्धाओं का मंत्री के हस्ते सत्कार

गोंदिया - राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने १५ जून को गोंदिया के जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में बताया कि कोरोना के दूसरे चरण पर नियंत्रण रखने के लिए गोंदिया जिले को काफी सफलता प्राप्त हुई। जिले में पोजिटिव रेट ०.४३ की सकारात्मक दर होने से पूरे राज्य में आदर्श जिले के रुप में सामने आया। इसका उदाहरण राज्य में अन्य जगहों पर अपनाना चाहिए। इस अवसर पर मंत्री सावन के हस्ते कोरोना संक्रमण काल में उल्लेखनीय सेवा करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का सत्कार कर अभिनंदन किया गया।

गौरतलब है कि राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत १५ जून जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में गोंदिया जिले में पॉजिटिव मरीजों की दर ०.४३ सकारात्मक दर के साथ संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। जिसमें प्रशासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों व सामाजिक संगठनों का विशेष योगदान रहा है। जिसके चलते जिले में फिर से व्यवसाय उद्योग अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान पूरी तरह अपनी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन में स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व व अन्य संबंधित विभागों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के चलते गोंदिया जिला राज्य के अन्य जिलों के लिए आदर्श जिला माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की पहल पर गोंदिया जिले को ४ वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। यह वेंटीलेटर कोविड-१९ के मरीजों के उपचार और संभावित तीसरी लहर के लिए महत्वपूर्ण होगा।

साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च स्तरीय कार्यवाही की जा रही है। जिसे आगामी कुछ दिनों में मंजूरी प्राप्त होने के बाद जल्द से जल्द रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा मंत्री उदय सामंत के हस्ते जिले के योद्धाओं का सत्कार किया गया तथा मंत्री ने सभी को शुभकामना व बधाई दी। गोंदिया जिले को कोरोना से मुक्ति दिलवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिलाधिकारी राजेश खवले के कार्यों की सराहना की।

आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी राजेश खवले, जिप के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीपकुमार डांगे, पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, शिवसेना जिला प्रमुख मुकेश शिवहरे, सुरेंद्र नायडु, जिला समन्वयक पंकज यादव, सुनील लांजेवर, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे, उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, नगरपरिषद के मुख्याधिकारी करण चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपते, तहसिलदार आदेश डफल, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ.नरेश तिरपुडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अमरीश मोहबे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.नितीन कापसे, जिल्हा आपूर्ति अधिकारी देवराव वानखेडे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी गणेश घोरपडे व आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे उपस्थित थे।

कोरोना फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों को दरकिनार कर चहेते कर्मचारियों का सत्कार

गोंदिया जिले में कोरोना संक्रमण काल के दौरान शासकीय जिला चिकित्सालय में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर के रुप में कार्य किया गया। उक्त कर्मचारियों का सत्कार कार्यक्रम १५ जून को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित किया गया था। जिसमें प्रत्येक विभाग से सिर्फ दो चहेते कर्मचारियों के नाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गये। महामारी के दौरान सभी कर्मचारियों ने समान रुप से अपना योगदान देकर कार्य किया। लेकिन चंद कर्मचारियों का ही सत्कार किया गया। जिससे उनमें असंतोष निर्माण हो गया है। इस अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा जिलाधिकारी राजेश खवले व जिला शल्य चिकित्सक डॉ.अमरीश मोहबे को पत्र देकर न्याय करने तथा सभी कर्मचारियों का समान रुप से सत्कार करने की मांग की गयी।

संपादकिय

बड़ी आर्थिक चुनौती

कोरोना के असर से अर्थव्यवस्था के जिस तेजी से उबरने की उम्मीद थी, दूसरी लहर ने उस पर पानी फेर दिया है। वित्त वर्ष २०२२ में पहले जहां देश की ग्रोथ ११-१४ फीसदी रहने का अनुमान लगाया जा रहा था, अब उसे घटाकर ८.५-१० फीसदी कर दिया गया है। वित्त वर्ष २०२१ में ग्रोथ माइनस ७.३ फीसदी रही। कोरोना महामारी की पहली लहर में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा असर नहीं हुआ था और वहां की इकॉनमी मजबूत बनी हुई थी। दूसरी लहर में गांवों पर इसका व्यापक असर हुआ है, जिससे खपत में कमी आने की आशंका है। मई में लॉकडाउन के कारण जहां कंपनियों के प्रोडक्शन और दुकानों से बिक्री प्रभावित हुई, वहीं लोगों ने अनिश्चितता के कारण खर्च घटाया। इसलिए मई में अप्रैल की तुलना में टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बिक्री में ६५ फीसदी, स्मार्टफोन की बिक्री में ३० फीसदी की कमी आई। अप्रैल में जहां कंपनियों ने शोरुम में २ लाख ८६ हजार पैसेंजर गाड़ियां भेजी थीं, वहीं मई में इनकी संख्या घटकर १ लाख से कुछ अधिक रह गई। प्रोडक्शन और खपत में कमी का रोजगार पर भी बुरा असर हुआ है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) का दावा है कि मई महीने में १.५ करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और ३० मई को खत्म सप्ताह में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर १८ फीसदी के साथ पिछले एक साल में सबसे अधिक हो गई। जून में कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी गई है, इसलिए हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन महामारी के पहले के स्तर तक पहुंचने में अर्थव्यवस्था को वक्त लगेगा। यहां यह बात भी याद रखनी चाहिए कि पिछले साल महामारी के आने से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी हुई थी। महामारी ने इस मोर्चे पर दिक्कत बढ़ा दी है और समाज के सभी वर्गों पर इसका असर पड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले प्यू रिसर्च का एक सर्वे आया, जिसमें बताया गया कि २०२० में भारत में मध्यवर्गीय लोगों की संख्या में ३.५ करोड़ की कमी आई।

इसी तरह से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल २३ करोड़ लोग गरीबी की दलदल में फंस गए। सरकार ने पिछले साल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बड़ा राहत पैकेज दिया था। सरकारी खजाने की हालत ठीक नहीं, इसलिए अभी उसके लिए ऐसा करना मुश्किल है। इसलिए उदय कोटक जैसे उद्योगपतियों ने कहा है कि रिजर्व बैंक अधिक नोट छापे और सरकार अपनी बैलेंट शीट बढ़ाए। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से मौजूदा आर्थिक मुश्किलों से कैसे निपटा जाएगा, इसके संकेत नहीं मिले हैं। यह बात भी तय है कि जब तक लोगों के हाथ में खर्च करने लायक पैसा नहीं बढ़ेगा, तब तक खपत बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसमें बढ़ोतरी इसलिए जरुरी है क्योंकि देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान इसी का है।

कोरोना मुक्त गांव अभियान

उपाय योजना सहित तीसरे चरण के लिए रहे सजग - उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गोंदिया के सरपंचों से किया संवाद

गोंदिया - महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना मुक्त गांव अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सरपंचों से संवाद कर कोरोना नियंत्रण उपाय योजना तथा तीसरे चरण के लिए सजगता बरतने का आव्हान किया।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना मुक्त ग्राम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत गोंदिया जिले के आमगांव तहसील के करंजी व तिरोड़ा तहसील के कुलपा आदिवासी बहुल क्षेत्र के ग्राम के सरपंच का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए चयन किया गया था। जिसमें करंजी के सरपंच हंसराज चुटे तथा कुलपा के सरपंच नासिक भाऊराव धुर्वे चर्चा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्राम की जनसंख्या तथा ग्राम की विविधता के साथ ही कोरोना के दूसरे चरण के आने पर की गई उपाय योजना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि लाकडाउन लगने के पश्चात ग्राम के मजदूर बाहर से वापस आना शुरु हो गए थे। जिन्हें १४ दिन होम क्वॉरेंटाइन में रखने के पश्चात ही घरों में प्रवेश दिया गया। साथ ही ग्राम में स्वच्छता, समय-समय पर सेनीटाइजेशन, सामाजिक अंतर का पालन करने, हैंडवॉश करने के संदर्भ में मार्गदर्शन किया गया। जिसके लिए ग्राम के मंदिरों के ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया गया। कोरोना के नियंत्रण के लिए वार्ड समिति का गठन, दक्षता समिति की स्थापना, परिवार सर्वेक्षण के लिए वार्ड समिति का निर्माण, टीकाकरण समिति, होम क्वारंटाइन में मदद कार्य करने के लिए दल तथा आदिवासी खावटी समिति की स्थापना की गई। साथ ही गांवस्तर पर जनजागृति करने के लिए कर्मचारियों, पदाधिकारियों, नवयुवकों तथा सामाजिक संस्था के माध्यम से ग्रुप तैयार किए गए।

विशेष यह है कि कोरोना के दूसरे चरण को रोकने के लिए आशा, आंगनवाड़ी सेविका, शिक्षक, ग्राम सेवक के माध्यम से ग्राम के प्रत्येक नागरिकों की जांच का समय-समय पर अभियान चलाया गया। उल्लेखनीय है कि दोनों ग्रामों में चलाई गई विभिन्न योजनाओं के चलते एक भी कोरोना का मरीज नहीं पाया गया। तीसरे चरण को देखते हुए ग्राम में विभिन्न तैयारियां करने के साथ ही कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। जनजागृति अभियान चलाते हुए ८६ प्रतिशत से अधिक टीकाकरण किया गया। इस प्रकार की जानकारी सरपंचों ने मुख्यमंत्री को दी। साथ ही शतप्रतिशत टीकाकरण का आश्वासन भी दिया।

ग्राम को कोरोना मुक्त रखने के लिए जि.प. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीपकुमार डांगे, सामान्य प्रशासन के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश भंडारकर, पंचायत विभाग के आर.एल. पुराम, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.नितिन कापसे, गट विकास अधिकारी चंद्रकांत साबड़े, एस.एम. लिलहरे तथा तहसील स्तर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का समय-समय पर सहयोग व मार्गदर्शन मिलने पर सरपंचों ने उनका आभार व्यक्त किया।

पंजाबराव देशमुख ब्याज रियायत योजना

नियमित रुप से ऋण चुकाने वाले किसानों को ३ लाख रुपये तक के कर्ज के लिए शून्य ब्याज दर

ब्याज दरों में दो फीसदी की बढ़ोतरी से किसानों को फायदा

मुंबई – नियमित रुप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों से अब ३ लाख रुपये तक के ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये की निर्धारित समय सीमा के भीतर ऋण चुकाने पर मौजूदा एक प्रतिशत ब्याज दर पर दो प्रतिशत की और छूट देने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की।

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने हाल के बजट सत्र में घोषणा की थी कि ३ लाख रुपये तक का फसल ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरुप किसान जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि उन्हें राज्य सरकार की ओर से ब्याज दर में तीन प्रतिशत की रियायत और केन्द्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत की ब्याज दर में संयुक्त लाभ मिलेगा।

डॉ.पंजाबराव देशमुख ब्याज रियायत योजना में निर्धारित समय के भीतर अल्पावधि फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रुप में ब्याज रियायत दी जाती है। योजना के तहत निर्धारित समय के भीतर अल्पकालीन फसल द्धण चुकाने वाले किसानों को १ लाख रुपये की ऋण सीमा तक ३ प्रतिशत ब्याज रियायत, १ लाख रुपये की ऋण सीमा तक १ प्रतिशत से १ लाख तक की ब्याज दर दी जाती है। निर्धारित समय के भीतर ऋण चुकाने पर उन्हें २ प्रतिशत ब्याज दर की छूट देने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, निर्धारित समय के भीतर अल्पावधि फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को ३ लाख रुपये की सीमा तक ऋण पर ३ प्रतिशत ब्याज रियायत मिलेगी। वर्ष २०२१-२२ से यदि किसानों को निर्धारित अवधि के भीतर की ऋण सीमा तक के अल्पकालीन ऋण की अदायगी की जाती है। इससे किसान कृषि आय बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि जैसे बीज, उर्वरक, दवाइयां खरीद सकेंगे। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही ब्याज राहत पाने के लिए किसान फसल ऋण को समय पर चुकाएंगे। इससे बैंकों की रिकवरी को बढ़ाकर वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी।

शहरों में करेंगे प्राचीन, अतिप्राचीन वृक्षों की रक्षा

हेरिटेज ट्री की अवधारणा को लागू करने के लिए कार्यक्रम

मुंबई – कैबिनेट की बैठक में राज्य के शहरी क्षेत्रों में ५० साल और उससे अधिक उम्र के पेड़ों के संरक्षण और पोषण का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की।

इसके लिए महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। **विरासत वृक्ष** की अवधारणा और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कार्य योजना लागू की जाएगी।

इन संशोधनों में विरासत वृक्ष की अवधारणा और उनके संरक्षण के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन, वृक्ष की आयु, प्रतिपूरक वृक्षारोपण, बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण की स्थापना, स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण का गठन, कर्तव्यों का निर्धारण, वृक्षों की गिनती शामिल है। इनमें वृक्षारोपण के लिए सामूहिक भूमि का आवंटन, वृक्षों का प्रतिरोपण, वृक्ष संरक्षण के वैकल्पिक विकल्पों की खोज, वृक्ष उपकर और दंड का प्रावधान शामिल हैं।

१. विरासत वृक्ष – उनके संरक्षण के लिए अवधारणा और कार्य योजना

५० वर्ष या उससे अधिक आयु के वृक्ष को विरासत वृक्ष के रुप में परिभाषित किया जाएगा। ये पेड़ कुछ प्रजातियों के हो सकते हैं। ऐसी प्रजातियों को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

२. वृक्ष की आयु –

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग पेड़ों की उम्र निर्धारित करने के लिए प्रचलित प्रथाओं पर वन विभाग के परामर्श से दिशानिर्देश जारी करेगा।

वृक्ष की आयु पेड़ों को विरासत वृक्ष का दर्जा देने और प्रतिपूरक वृक्षारोपण के तहत लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

३. मुआवजा वृक्षारोपण –

काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या के बराबर नए पेड़ प्रतिपूरक वृक्षारोपण के रुप में लगाए जाने चाहिए। रोपण करते समय अंकुर कम से कम ६ से ८ फीट ऊंचे होने चाहिए। यह वृक्षारोपण उसी स्थान पर किया जाना चाहिए। स्थान उपलब्ध न होने पर यह वृक्षारोपण सार्वजनिक भूमि पर किया जा सकता है। ऐसे पेड़ों की सात साल तक की जियो-टैगिंग की जरुरत होगी।

यदि मुआवजे के रुप में एक पेड़ लगाना संभव नहीं है, तो आवेदक काटे जाने वाले पेड़ों के मूल्यांकन से कम राशि जमा नहीं कर सकता है।

४. बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई –

पांच साल और उससे अधिक उम्र के २०० से अधिक पेड़ों को काटने का प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण को भेजा जाएगा। अगर महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण पेड़ों की कटाई की सिफारिश करता है, तो स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है।

स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेड़ों की संख्या निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए परियोजनाओं को छोटे वर्गों में विभाजित नहीं किया जाता है।

५. महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण की स्थापना –

- वृक्षों के संरक्षण के संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्य स्तर पर एक वैधानिक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। निर्माण प्राधिकरण की संरचना समय-समय पर अधिसूचित के अनुसार होगी।
- समय-समय पर स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण के कामकाज की निगरानी करना।
- राज्य भर में विरासत वृक्षों का संरक्षण और संरक्षण।
- हेरिटेज ट्री कटाई के आवेदनों की सुनवाई।
- पांच वर्ष और उससे अधिक आयु के २०० से अधिक पेड़ों को काटने के आवेदनों की सुनवाई।
- संरक्षण और वृक्ष संरक्षण से संबंधित कोई अन्य कार्य।

६. स्थानीय वृक्ष प्राधिकरणों की संरचना –

- वृक्ष विशेषज्ञ स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण का हिस्सा होंगे। वृक्ष प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय वृक्ष विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित होंगे।
- नगर परिषद के मामले में, वृक्ष प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्य अधिकारी होगा।

७. स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण के कर्तव्य –

- सुनिश्चित करें कि हर पांच साल में पेड़ों की गिनती की जाए
- हेरिटेज ट्री की गणना एवं संरक्षण
- पेड़ों की देशी प्रजातियों की खेती और संरक्षण
- नागरिक स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में सभी भूमि पर वृक्षों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि शहरी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ लगाए जाएंगे। यह वृक्षारोपण वैज्ञानिक तरीके से देशी प्रजातियों के संरक्षण की दृष्टि से किया जायेगा और कम से कम ३३ प्रतिशत वृक्षारोपण क्षेत्र होगा।
- सुनिश्चित करें कि पेड़ों की छंटाई वैज्ञानिक तरीके से और विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में की जाए।
- रोपण और उसके रखरखाव के लिए मुआवजा सुनिश्चित करना।
- वृक्ष संरक्षण के लिए वृक्ष उपकर का उपयोग सुनिश्चित करना।
- महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों/जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

८. वृक्षों की संख्या –

- पेड़ की गिनती हर पांच साल में कम से कम एक बार जरुर करवानी चाहिए।
- नई तकनीक (जीआईएस ऐप) के उपयोग को बढ़ावा देना।

९. खेती के लिए सामूहिक भूमि –

- स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण पेड़ लगाने के उद्देश्य से भूमि सुनिश्चित करेगा।
- पौधरोपण वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए।
- हरित स्थान में सुधार के लिए देशी प्रजातियों के पेड़ों की खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- स्थान उपलब्ध न होने पर सार्वजनिक भूमि पर मुआवजा दिया जा सकता है।

वृक्षारोपण के तरीके –

मियावाकी वृक्षारोपण, अमृत वन, मेमोरी वन, शहरी वन

१०. वृक्षारोपण –

- विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही रोपाई करनी चाहिए।
- लगाए जाने वाले पेड़ की अनुमानित उम्र की भरपाई के लिए वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

११. वृक्ष संरक्षण के लिए वैकल्पिक परियोजनाएं –

- पेड़ की कटाई को कम करने के लिए परियोजना के डिजाइन में वैकल्पिक विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए।

१२. वृक्ष उपकर –

- महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण वृक्ष उपकर के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

१३. दंड प्रावधान –

- रक्कम समय-समय पर अधिसूचित के अनुसार दंड की राशि वसूल की जाएगी।
- यह राशि अधिकतम रु. १ लाख तक सीमित रहेगा।

साप्ताहिक राशिफल

मेष : जीवन में परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी और सहकर्मी आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। सोशल सर्कल में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना आपकी सेहत के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

वृषभ : बाहर रहने वाले किसी पारिवारिक सदस्य से मिलने जाने की उम्मीद है। लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपनी दक्षता से किसी मुश्किल काम को पूरा कर सकेंगे। किसी नए वेंचर से जल्द ही आमदनी आने की शुरुआत हो सकती है।

मिथुन : प्रेमी अपने किए हुए वादे से मुकर सकता है। आप में से कुछ लोगों को ऑफिशियल ट्रिप पर जाना पड़ेगा। किसी गलत निवेश के कारण आर्थिक स्तर पर परेशानी रहने की आशंका है। प्रोफेशनल क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ने की उम्मीद है।

कर्क : किसी परियोजना को लेकर मानसिक व्यस्तता रहेगी। किसी की सलाह मानकर निवेश करने से बचें। किसी सामाजिक काम से जुड़ने की संभावना है। घर में किसी पार्टी या समारोह के आयोजन में व्यस्त रहने के संकेत हैं।

सिंह : अच्छे बार्गेनिंग स्किल की बदौलत किसी डील को पाने में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अपने काम की गति बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। करीबी लोगों और दोस्तों के लिए आयोजन किए जाने की संभावना है। खास जगह जाना व लोगों से मिलना आपको प्रसन्न रखेगा।

कन्या : एक छोटी सी यात्रा से बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। करियर को लेकर स्पष्ट सोच बनाने की जरुरत है। पढ़ाई में फोकस बनाए रखना आसान होगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। पैसे और खरीददारी के मामले में जल्दबाजी सही नहीं होगी।

तुला : नवविवाहितों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत रहेंगे। आप में से कुछ लोग नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। कोई महंगा उपकरण खरीदने में सक्षम होंगे। निवेश के मामले में किसी से मिली सलाह फायदेमंद साबित होने वाली है। लवर के साथ रोमांटिक शाम बिताए जाने की उम्मीद है।

वृश्चिक : आमदनी बढ़ने की संभावना है। सैलरी पर काम करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मिलने की उम्मीद है। कोई समस्या सुकून छीन ले, इससे पहले उसे हल कर लेना आवश्यक होगा। किसी शारीरिक समस्या से परेशान लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है।

धनु : किसी खास के घर आने से परिवार में उत्साह का माहौल रहने की संभावना है। लोन लेने में कोई व्यवधान नहीं रहेगा। प्रोफेशनल स्तर पर लंबी छलांग लगाए जाने की उम्मीद है, तैयार रहें। प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट बढ़ाने में सफल रहेंगे।

मकर : साफ-सफाई के प्रति सजग रहें। किसी अधूरे काम की वजह से ऑफिस में ज्यादा वक्त देना पड़ सकता है। किसी गोपनीय बात को लेकर दृढ़ रहना होगा। कोई आपको पर्यटक स्थल पर साथ चलने के लिए प्रेरित कर सकता है।

कुंभ : आप वैकेशन के मूड में हैं और किसी खूबसूरत जगह जाने की योजना बना सकते हैं। प्रोफेशनल स्तर पर किया गया कोई वादा पूरा करने में सफल रहेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में कोई सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है। परिवार और दोस्तों के साथ कुछ रोमांचक प्लान बनेंगे।

मीन : शादीयोग्य लोगों को मनपसंद जोड़ीदार मिलने की उम्मीद है। कोई एडवेंचर्स ट्रिप आपको थका सकती है। पढ़ाई के क्षेत्र में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। किसी मानसिक बोझ से जल्द ही छुटकारा मिलने की संभावना है।

कामठा की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर ग्रापं व पंस प्रशासन दे रहे तूल - विठोबा भाजीपाले

अधिकारी की लापरवाही के कारण किसान पर आत्महत्या करने की नौबत

४ **विजेंद्र मेश्राम –** कोरोना के इस संकट की घड़ी में अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वह है इस देश के और जिले के किसान। लेकिन किसानों के साथ ही अन्याय हो रहा है। तो आखिर किसान किसके पास न्याय की गुहार लगाएं? यह सवाल है। पूरे देश की भूख मिटाने वाला किसान ही दुखी है, तो इस देश के नागरिक कैसे सुखी हो सकता है?

घटना कामठा ग्राम पंचायत की है। विठोबा रतिराम भाजीपाले पहले उनके खेतों में आने-जाने की सरकारी जमीन पर गांव के ही शंकर मदन लिल्हारे ने जबरन अतिक्रमण कर पहले कंपाऊंड वॉल बनाई व विस्तारीकरण करके धीरे-धीरे पक्का मकान बना लिया। इसकी सारी जानकारी ग्राम पंचायत कामठा प्रशासन, पंचायत समिति गोंदिया, जिला परिषद गोंदिया, जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया को दी गई। लेकिन किसी भी अधिकारी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। अधिकारी एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते हुए टालमटोल करते जा रहे हैं। इसके पास, उसके पास भेज कर काम नहीं हुआ कहते हुए घुमाने का काम किया गया। पत्र भेजने के बाद भी अधिकारी द्वारा टालमटोल किया जा रहा है। १०० पेज की कॉपी के बंच तैयार किया हुआ है, कई दफा सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र दिया जा चुका है किंतु कोई सुनवाई नहीं।

अधिकारी द्वारा कर्तव्य, दायित्व की पूर्ति नही कर रहे है।

तहसीलदार को बोलने पर कोरोना का डर बताकर अतिक्रमणकारियों को तूल दिया जा रहा है। वहीं पंचायत समिति के बीडीओ को बार-बार पत्र देने के बाद भी कोरोना का डर दिखाकर अतिक्रमण को तूल देने का काम किया जा रहा है। वैसे ग्राम पंचायत प्रशासन ने भी वही कृत्य किया हुआ है। अधिकारी अपने कार्य, कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व की पूर्ति नहीं की जा रही है। अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर अधिकारियों द्वारा किया गया है और किया जा रहा है। किसानों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार अधिकारियों वर्ग द्वारा किया जा रहा है, तो किसान न्याय के लिए आखिर कहां जाए? किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर करने वाले इन अधिकारियों

और ग्राम पंचायत प्रशासन पर कितनी कार्यवाही होनी चाहिए?

किसानों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए

शंकर मदन लिल्हारे ने खेतों में आने-जानेवाले जगह पर जबरन अतिक्रमण कर पक्का मकान तैयार किया गया है, जो कि गैरकानूनी है। इसमें पूरा पूरा सपोर्ट ग्राम पंचायत प्रशासन एवं पंचायत समिति गोंदिया प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है। इसे देखते हुए किसान की जमीन काफी सालों से पड़ीत हैं इसका सारा आर्थिक नुकसान का मुआवजा ग्राम पंचायत कामठा प्रशासन एवं पंचायत समिति गोंदिया प्रशासन दे। क्योंकि पक्का मकान बनने से पहले ही अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन पत्र की अवहेलना करते हुए, उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। पत्र बार-बार दिया गया, किंतु पत्र का अपमान किया गया व जबरन ग्राम पंचायत की मिलीभगत से उन्हें पक्का मकान बनवाने दिया गया। इसमें ग्राम पंचायत ने रोक नहीं लगाई।

ग्राम पंचायत अधिनियम कलम ३९ के तहत हो कार्रवाई

ग्राम कामठा के अतिक्रमण को देखते हुए, गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे शांतिभंग एवं कायदा सुव्यवस्था का उल्लंघन करते हुए किसानों को क्षति पहुंचाने का काम किया जा रहा है। माहौल बिगड़ने के कगार पर होने के बावजूद भी अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। पश्चात ग्राम पंचायत अधिनियम कलम ३९ के अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति गोंदिया पर कार्रवाई हो। जिलाधिकारी गोंदिया के निर्देश के अनुसार दोषी अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसा किसान विठोबा रतिराम भाजपाले ने जिलाधिकारी गोंदिया, नागपुर आयुक्त, मंत्रालय मुंबई से की है। अगर न्याय नहीं मिला तो किसान आत्महत्या करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए सभी जवाबदारी ग्राम पंचायत कामठा प्रशासन एवं सभी संबंधित अधिकारियों की होगी। पंचायत अधिनियम कलम ३९ अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति गोंदिया पर कठोर कार्यवाही एवं ग्राम पंचायत कामठा को निरस्त किया जाने की मांग किसान विठोबा भाजीपाले ने की है।

जिल्हाधिकारी के पत्र की अवहेलना

जिलाधिकारी के पत्र आदेश होने के बावजूद भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रहा है। गोंदिया जिले में जिल्हाधिकारी के पत्र की अवहेलना किया जा रहा है। उनका पत्र का अपमान याने जिलाधिकारी का अपमान। किंतु अधिकारी सुस्त होते जा रहे हैं। जिलाधिकारी का भी इन अधिकारियों को कोई भय नहीं है। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, यह सवाल यहां के जिलाधिकारी से है?

वैशिष्टपूर्ण योजना के अंतर्गत मंजूर ५ करोड़ की निधि तत्काल दें

मंत्री सामंत को तहसील शिव सेना ने दिया निवेदन

संतोष रोकड़े – नगर पंचायत अर्जुनी मोरगांव के लिए वैशिष्टपूर्ण योजना के अंतर्गत वर्ष २०१७-१८ में मंजूर ५ करोड रुपए की निधि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। जिसे जल्द से जल्द देने के लिए अर्जुनी मोरगांव तहसील शिव सेना द्वारा व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत के आगमन पर निवेदन देकर मांग की।

गौरतलब है कि राज्य के उच्च शिक्षा व तकनीकी मंत्री उदय सामंत गोंदिया जिले के आगमन पर अर्जुनी मोरगांव तहसील में शिवसेना के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर शिवसेना द्वारा नगर पंचायत अर्जुनी मोरगांव के लिए वर्ष २०१७-१८ में वैशिष्टपूर्ण योजना के अंतर्गत मंजूर ५ करोड रुपए की निधि प्राप्त नहीं हुई। जिसके लिए निवेदन देकर जल्द से जल्द निधि रिलीज करने की मांग की, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। जिस पर मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर निधि रिलीज की जाएगी। इस अवसर पर आगामी चुनाव में शिवसेना की भूमिका तथा पक्ष को बढ़ाने तथा नागरिकों की समस्याओं को हल करने संबंधित चर्चा मंत्री द्वारा कार्यकर्ताओं से की गई। कार्यकर्ताओं द्वारा इसके अलावा अनेक समस्याएं मंत्री महोदय के समक्ष रखी गयी। इस अवसर पर शिवसेना जिला उपप्रमुख शैलेश जायसवाल, संजयसिह पवार, ममता पवार, युवासेना जिला प्रमुख अश्विनसिंह गौतम, तहसील प्रमुख चेतन दहीकर, मोरेश्वर सौदरकर, प्रकाश उइके, कल्पना सहारे, यादव कुंभरे, राजू राजाभोज, शिल्पा घनाडे, प्रतिभा बावरे, पूनम लाडे, तेजस्विनी लांजेवार, छत्रपाल कापगते, विजय पवार, महेश सहारे आदि उपस्थित थे।

ककोड़ी जिला परिषद स्कूल में जैविक कृषि प्रकल्प पर मार्गदर्शन

पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में चिचगढ़ पुलिस थाने का अभियान

गोंदिया जिले के आदिवासी दुर्गम महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अति संवेदनशील नक्सलग्रस्त ग्राम ककोड़ी की जिला परिषद शाला में गोंदिया पुलिस विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जैविक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बंनकर की संकल्पना व मार्गदर्शन के अंतर्गत तथा कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से चिचगढ़ पुलिस थाने के सौजन्य से महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अतिसंवेदनशील नक्सलग्रस्त ग्राम ककोडी की जिला परिषद स्कूल में माझी शाळा हरीत शाळा यह पर्यावरण पूरक वातावरण तैयार करने व परिसर में कृषि के संदर्भ में जनजागृति करने के उद्देश्य से तथा उन्हें समाज के मुख्य प्रभाव में लाने तथा रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान तथा अधिक खर्च को कम करने हेतु जैविक खेती प्रकल्प का निर्माण कर प्लांटेशन के संदर्भ में जन जागृति अभियान चलाया गया। जिसमें जैविक खाद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसकी जानकारी शाला के विद्यार्थियों को दी गई। इस अवसर पर शाला के मुख्य अध्यापक मेश्राम, अंबातें, व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष केवट व अन्य प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। उन्होंने पुलिस विभाग के इस उपक्रम पर आभार व्यक्त किया।

पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण जरुरी - राखी ठाकरे

गोंदिया – पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करना जरुरी है, इसी सकल्प और उद्देश्य को लेकर गोंदिया तहसील के ग्राम सोनपुरी में सरपंच राखी ठाकरे की संकल्पना से वृक्षारोपण की शुरुवात की गई। इसमें संपूर्ण गांव में वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया गया। इस वक्त पर्यावरण के महत्व को सरपंच राखी ठाकरे ने समझाया और बतलाया की स्वच्छता स्थानीय मुद्दा है। इसलिए इसके लिए टॉप डाऊन प्रणाली उपयुक्त नही है। बल्कि इसके लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाना ही समझदारी है। समाज को पर्याप्त अधिकार और संसाधन सम्पन्न बनाना जरुरी है। कोई भी नीति या नियम प्रभावी परिणाम तभी देता है, जब समाज की सहभागिता उसमें हो। पर्यावरण ऐसा मामला है जिससे जीवन सीधे जुड़ा हुआ है। पर्यावरण की सेहत के लिए दो कामों का निरन्तर जारी रहना बेहद जरुरी है, पहला स्वच्छता और दूसरा वृक्षारोपण। स्वच्छता के अभाव में हमें स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे झेलने पड़ते हैं। किसी भी राष्ट्र या समाज अथवा संस्कृति की सम्पन्नता वहां के निवासियों की भौतिक समृद्धि में निहित नहीं होती, बल्कि वहां की जैव विविधता पर निर्भर होती है। भारतीय वन सम्पदा दुनिया भर में अनूठी एवं विशिष्ट है। हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज, धर्म, तीज-त्योहार सब प्रकृति पोषित हैं। इस प्रकार सभी उपस्थित लोगों को बतलाया और पर्यावरण की सुरक्षा और मानवहित के लिए वृक्षारोपण करने का संकल्प ले और साथ ही उसके संगोपन की भी जिम्मेदारी ले ऐसा आव्हान किया।

इस अवसर पर महिला बचत समूह की अध्यक्ष अनिता पटले, वनिता ठाकरे, सरिता ठाकरे, मीरा चौधरी व किशोरियों में साक्षी तुरकर, हिना ठाकरे, प्रक्रिया ठाकरे, कनक पारधी, सावित्री पटले, काजल पटले, शुभांगी पटले, साक्षी बिलोनी, मीनाक्षी ठाकरे, श्रावणी पटले, शितल तुरकर, मानसी ठाकरे इत्यादी उपस्थित थे।

मानव–वन्यजीव सहअस्तित्व के विकास में मानद वन्यजीव संरक्षको की भूमिका महत्वपूर्ण – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मानद वन्यजीव संरक्षको से किया संवाद

मुंबई – मानद वन्यजीव संरक्षक सच्चे वन्यजीव प्रेमी हैं। वे लोगों और जंगलों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकार से अपील की कि वह लोगों के बीच सह-अस्तित्व को विकसित करने के लिए जागरुकता पैदा करके मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उपाय सुझाए।

मुख्यमंत्री ने टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से राज्य के मानद वन्यजीव रेंजरों से सीधे बातचीत की। मानद वन्यजीव संरक्षको ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी कि राज्य में मानद वन्यजीव संरक्षको के साथ इस तरह से बातचीत करने वाले यह पहले मुख्यमंत्री हैं और राज्य को प्रकृति के अनुकूल मुख्यमंत्री भी मिला है। उन्होंने राज्य में हेरिटेज ट्री अवधारणा को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों, वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति प्रेम ही मानद वन्य जीव संरक्षको की असली पहचान है। वे जानते हैं कि उनके क्षेत्र में जंगल कहां है, वन्यजीव कहां हैं। इसलिए विकास कार्य कहां करना और कहां नहीं करना चाहिए, इस पर वे अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं।

क्षेत्रीय विशेषताओं का ध्यान रखने की जरुरत

जो लोग अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। बफर क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी जरुरतों के लिए जंगल में जाते हैं और वन्यजीवों द्वारा हमला किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए इन नागरिकों को विभिन्न विभागों की योजनाओं में समन्वय कर यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि उनके निवास स्थान पर आजीविका सहित अन्य सुविधाएं कैसे उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि बाघ, तेंदुए और अन्य वन्यजीव जैसे तितलियां और अन्य वन्यजीव प्रकृति में महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ-साथ प्रकृति को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। मानद वन्यजीव संरक्षक इस संबंध में विभाग को निर्देश दें।

खाद्य श्रृंखला को मजबूत करेंगे क्षेत्रीय पौधे

मुख्यमंत्री ने कहा कि लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, नई प्रजातियों की खोज, ये सभी पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मानद वन्यजीव संरक्षको के साथ यह संवाद जारी रहेगा।

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, प्रमुख सचिव विकास खड़गे, वन विभाग के प्रमुख सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) डॉ.नितिन काकोडकर, छह राजस्व विभागों के, वन विभाग के अधिकारी, मानद वन्यजीव रेंजर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रदेश के ३१ जिलों में ५५ मानद वन्यजीव संरक्षको की नियुक्ति की जानकारी देते हुए वन विभाग के प्रमुख सचिव ने वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में इनके बहुमूल्य योगदान को रेखांकित किया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) डॉ.नितिन काकोडकर ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ की धारा ४, उप-धारा ४ (१) (बीबी) के तहत मानद वन्यजीव संरक्षक, मुख्य वन्यजीव रेंजर के अधीन कार्य करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के तहत उन्हें लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वर्धापन दिन दिवस संपन्न

केंद्र सरकार ने ७ वर्षों में केवल जनता को दी महंगाई की भेंट – पूर्व विधायक राजेंद्र जैन

गोंदिया – राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का २२ वा वर्धापन दिवस रेलटोली स्थित राका भवन में आयोजित किया गया। जिसमें ध्वजवंदना के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने पक्ष के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को शुभकामना दी। तथा अपने संबोधन में कहा कि राज्य में महाविकास आघाडी सरकार किसानों के हितों में कार्य किया है। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार आर्थिक संकट मैं आने के बावजूद धान को सांसद प्रफुल पटेल के प्रयासों से ७०० रु बोनस दिया गया है। लेकिन केंद्र की सरकार ने अपने ७ वर्ष के कार्यकाल में जनता को सिर्फ महंगाई की भेंट ही दी है।

गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के २२ वे वर्धापन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक जैन ने अपने संबोधन में आगे कहा कि सांसद प्रफुल पटेल ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान गोंदिया-भंडारा इन दोनों जिलों में ऑक्सीजन रेमडेसीविर इंजेक्शन की आपूर्ति निरंतर करवाई तथा दोनों जिलों के मरीजों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास किया। गोंदिया के शासकीय केटीएस जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया जिससे ऑक्सीजन किल्लत के संकट पर मात की गई सांसद पटेल द्वारा किए गए इन कार्यों की उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा प्रशंसा की गई तथा आगे कहा कि दोनों जिलों की जनता की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रवादी पक्ष कटिबद्ध है। इस प्रकार की जानकारी विधायक जैन ने दी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के उत्पादन खर्च का ५० प्रतिशत लाभ जोड़कर फसल उत्पादन को हमी भाव देने का घोषणा की थी। लेकिन यह सिर्फ आश्वासन ही सिद्ध हुआ। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में सिर्फ ७२ रु की वृद्धि की है जो किसानों के साथ सिर्फ छलावा किया है। जिसका राष्ट्रवादी द्वारा निषेध किया जाता है।

केंद्र सरकार की नीति किसान विरोधी है जो किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य कर रही है। भाजपा द्वारा झूठे आश्वासन देकर केंद्र की सत्ता पर आ गई है। लेकिन ७ वर्षों में जनता को महंगाई की भेंट देकर खाई में धकेलने का कार्य किया है। आज डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, खाद्य तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। जिससे केंद्र सरकार सभी मोर्चों पर असफल साबित हो चुकी है। केंद्र सरकार के इस झूठे चेहरे को जनता के सामने लाने का कार्य कार्यकर्ताओं से करने का आवाहन राजेंद्र जैन ने किया है।

इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भी मार्गदर्शन किया गया। कोरोना संक्रमण काल में मृत व्यक्तियों को राष्ट्रवादी पक्ष की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर जिल्हाध्यक्ष विजय शिवनकर, नरेश माहेश्वरी, शिव शर्मा, विनोद हरिणखेडे, गंगाधर परशुरामकर, अशोक सहारे, प्रभाकर दोनोडे, राजलक्ष्मी तुरकर, गणेश बरडे, केतन तुरकर, मनोज डोंगरे, रफिक खान, बाळकृष्ण पटले, आशा पाटिल, जितेश टेंभरे, विनीत सहारे, मनोहर वालदे, खालीद पठाण, रवि मुंडदा, राजु एन. जैन, राजेश तुरकर, रमेश कुरील, डॉ.रुपसेन बघेले, नागो बन्सोड, मोहन पटले, श्रीधर चन्ने, संजीव राय, विनायक शर्मा, मामा बन्सोड, प्रतिक भालेराव, हरबक्ष गुरनानी, सुनील पटले, शैलैश वासनिक, करण टेकाम, संतोष रहांगडाले, पटले, विजय धरमगोडीया, देवेंद्र सुर्यवंशी, लव धोटे, पंकज चौधरी, त्रिलोक तुरकर, दिलीप पाटिल, सैयद इकबाल, कपील बावनथडे, कृणाल बावनथडे, डॉ.मोहित गौतम, योगेश डोये, धनराज सुर्यवंशी, संजीव रावत, नरेंद्र बेलगे, रौनक ठाकूर व राष्ट्रवादी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

दवाई लेने निकले पिता की हत्या

गोंदिया - सड़क अर्जुनी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम म्हासवाणी निवासी खुमराज बलिराम रंहागडाले अपनी बीमार बेटी के लिए दवाई लेने के लिए खोडसिवनी गया था। जिसकी मार्ग में अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क अर्जुनी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम म्हसवाणी निवासी खुमराज बलिराम राहंगडाले १३ जून कि शाम अपनी बीमार बेटी के लिए दवाई लेने अपनी दुपहिया वाहन क्रमांक एमएच ३५ एआर ७९१९ से खोड़सिवनी गया था। लेकिन वह खोडसिवनी से म्हसवाणी मार्ग पर मोटरसाइकिल सहित मार्ग के किनारे जख्मी अवस्था में दिखाई दिया। जिसके सिर पर गंभीर मार लगा था, जिससे खून निकल रहा था। किंतु अंधेरे के चलते उपरोक्त जख्म स्पष्ट दिखाई नहीं देने पर उस संदर्भ में डुग्गीपार पुलिस थाने में आकस्मिक मौत की धारा १७४ के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की गयी। इसके पश्चात वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण चिकित्सालय सड़क अर्जुनी द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम किए जाने पर मृतक के कान के पास किसी धारदार हथियार से वार का जख्म दिखाई दिया। जिसकी जानकारी चिकित्सक के पीएम रिपोर्ट के आधार पर आकस्मिक मौत के स्थान पर भादवि की धारा ३०२ के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच डुग्गीपार पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सचिन वांगड़े द्वारा की जा रही है।

सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत

रावणवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बघोली निवासी शिक्षक डिलनप्रसाद ईश्वरीप्रसाद दुबे (५५) की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उपरोक्त प्रकरण में प्राप्त जानकारी के अनुसार १३ जून को ११ से ११.३० के दौरान गोंदिया से बालाघाट जाने वाले मार्ग पर अंभोरा बस स्टॉप के समीप चौपहिया वाहन क्रमांक एमएच २० एटी ९८०१ के चालक ने लापरवाही पूर्ण तरीके से चलाते हुए मृतक के दुपहिया वाहन क्रमांक एमएच ३५ एटी २१६५ को टक्कर मार दी। जिसमें बघोली निवासी शिक्षक डिलनप्रसाद दुबे गंभीर रुप से जख्मी हो गए। जिसे उपचार के लिए चिकित्सालय में दाखिल कराया गया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उपरोक्त प्रकरण में फरियादी मृतक के पुत्र उमेश डिलनप्रसाद दुबे की मौखिक शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस थाने में भादवि की धारा २७९, ३३७, ३३८, ३०४ सहायक धारा १८४ मोटर वाहन कानून के तहत दर्ज कर आगे की जांच पुलिस नायक तुरकर द्वारा की जा रही है।

फांसी लगाकर की आत्महत्या

रामनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कुडवा के वार्ड नंबर ३ निवासी किशोर बलिराम भालाधरे (४७) ने अपने निवास स्थान पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार १४ जून को ५.३० बजे के दौरान मृतक द्वारा अपने घर के हॉल के वेंटीलेटर में नायलोन की रस्सी से गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उपरोक्त मामले में फरियादी छाया किशोर भालाधरे की शिकायत पर रामनगर पुलिस थाने में आकस्मिक मृत्यु धारा १७४ के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस हवलदार बनकर द्वारा की जा रही है।

शासकीय नौकरी लगाने के नाम धोखाधड़ी

गोंदिया पुलिस थाना अंतर्गत आनेवाले लक्ष्मी नगर गौतम बुद्ध वार्ड निवासी प्रतीक राजेंद्र गड़पायले (२२) को शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी उसके मित्र द्वारा ७,३२,८०० रुपए लेकर नकली जॉइनिंग लेटर लेकर धोखाधड़ी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा २४ जून २०२० से १४ दिसंबर २०२० तक शासकीय मेडिकल कॉलेज कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की नौकरी लगाने का लालच देकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नागपुर का जॉइनिंग लेटर देकर ७,३२,८०० की आर्थिक धोखाधड़ी की। जॉइनिंग लेटर लेकर नौकरी के लिए पहुंचने पर उसके साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। उपरोक्त मामले में फरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस थाने में भादवि की धारा ४२०, ४६४, ४६५, ४६८, ४७१ के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक पाटिल द्वारा की जा रही है।

सर्पदंश से मां बेटे की मौत

गोंदिया – मानसून शुरु होते ही जिले में सर्पदंश की घटना प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर घटित होती है। इसी प्रकार का मामला सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंडीपार में घटित हुआ। मुंडीपार निवासी सतवन दिलीप मोहारे (३८) व उसका पुत्र दीपक दिलीप मोहारे (११) यह रात में अपने घर में जमीन पर सोए हुए थे। इसी दौरान २ बजे के करीब एक जहरीले सर्प ने सतवन के हाथ पर तथा पुत्र दीपक के कान के पास दशं किए जाने पर हंगामा मच गया। दौरान दोनों की स्थिति बिगड़ने पर उपचार के लिए गोंदिया के शासकीय चिकित्सालय रवाना किया गया। लेकिन मार्ग में ही दीपक की मौत हो गई तथा सतवन की उपचार दौरान मौत हो गई। एक ही दिन में दो की मौत होने पर संपूर्ण ग्राम में शोक का वातावरण निर्माण हो गया।

आवश्यकता है

गौशाला में गौ-सेवा के कार्य करने हेतु अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। रहने व खाने की व्यवस्था के साथ ही योग्यतानुसार वेतन दिया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें...

बुलंद गोंदिया कार्यालय

जगन्नाथ मंदिर के पास, गौशाला वार्ड, गोंदिया

मो. : 9405244668, 7670079009

समय : दोपहर 12 से संध्या 5 बजे तक

बीज व खाद आपूर्ति संदर्भ में जिलाधिकारी ने ली समीक्षा सभा

गोंदिया – मानसून के शुरु होते ही खरीफ की फसल की बुवाई का काम शुरु हो जाता है। जिसके लिए सोमवार १४ जून को जिलाधिकारी राजेश खवले की अध्यक्षता में खरीफ मौसम के लिए बीज व खाद की आपूर्ति संबंधित समीक्षा सभा ली गई।

गौरतलब है कि मानसून से शुरु होते ही जिले की प्रमुख फसल धान की बुवाई का कार्य शुरु हो जाता है। जिसके लिए बीज व खाद्य की आपूर्ति व उपलब्धता के संदर्भ में सोमवार १४ जून को जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी राजेश खवलें की अध्यक्षता में समीक्षा सभा आयोजित की गई। जिसमें जानकारी दी गई कि जिले में धान की फसल के लिए भरपूर मात्रा में बाजार में बीज उपलब्ध है। साथ ही राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान के अंतर्गत धान की विभिन्न फसल तथा उत्कृष्ट उत्पादन के लिए जिले के किसानों को परमिट पर बीज उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे किसान तहसील

कृषि अधिकारी से संपर्क कर परमिट प्राप्त करें तथा ग्राम बीज उत्पादन योजना के माध्यम से भी उन्नत प्रजाति की बिजाई जिले में परमिट द्वारा वितरित किया जा रहा है। जिसका भी लाभ किसानों द्वारा लिया जाए ऐसा आव्हान किया गया।

जिले में आवश्यक प्रमाण में रासायनिक खाद का संग्रहण उपलब्ध है एवं खाद पर खर्च कम करने की दृष्टि से किसान कृषि एप खाद गणना यंत्र अपने एंड्रायड मोबाइल पर डाउनलोड कर खाद का उपयोग करें। साथ ही धान की फसल के लिए यूरिया, डीपीए, बिफेट का उपयोग किया जाए। ऐसी जानकारी दी गई। जिले में इस वर्ष यूरिया खाद १९८० मेट्रिक टन का बंपर स्टॉक किया गया है। जिसका उपयोग मांग के अनुसार किया जाएगा।

किसान मिट्टी परीक्षण शिफारस के अनुसार तथा कृषि एप का उपयोग कर रासायनिक खाद किस प्रकार उपयोग करें, जिससे उत्पादन खर्च में कमी आ सके व बिजाई व खाद के संदर्भ में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तहसील व जिलास्तर पर नियंत्रण कक्ष को जानकारी दें। ऐसा आव्हान जिलाधिकारी द्वारा किया गया।

महालगांव में रोजगार हमी योजना के मजदूरों की कोरोना जांच

संवाददाता अर्जुनी मोरगांव – अर्जुनी मोरगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत महालगांव के तहत रोजगार हमी योजना के कार्य में लगे कामगारों की कोरोना जांच ग्राम पंचायत महालगांव व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में की गई। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण काल में रोजगार हमी योजना के कार्य शुरु होने से ग्राम के सैकड़ों परिवारों को रोजगार उपलब्ध हुआ। जिससे उनके समक्ष परिवार के पालन पोषण का प्रश्न हल हुआ। जिसके लिए ग्राम के सरपंच अशोक कापगते के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के माध्यम से विभिन्न नई योजना शुरु कर ग्राम के नागरिकों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

इसी के तहत महालगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले तावशी, नीलाज ग्राम में रोजगार हमी योजना में कार्य करने वाले मजदूरों की कोरोना जांच की गई। जिससे कोरोना का संक्रमण कम कर ग्राम के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का कार्य ग्राम पंचायत व स्वास्थ्य विभाग महागांव के संयुक्त तत्वधान में चलाया गया। साथ ही ग्राम के नागरिकों द्वारा कोरोना प्रतिबंधक टीकाकरण करवाएं, इसके लिए ग्राम पंचायत में ४५ वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए टीकाकरण शिविर भी लिया गया। जिसमें महागांव के वैद्यकीय अधिकारी डॉ.नारनवरे के मार्गदर्शन में जांच व टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर सरपंच अशोक कापगते द्वारा तीनों गांव के नागरिकों से आव्हान किया गया कि कोरोना को हराने के लिए प्रतिबंधक टीकाकरण अभियान में शामिल होकर प्रत्येक नागरिक वैक्सीन लें तथा अपने ग्राम को सुरक्षित रखें।

महाराष्ट्र एक्सप्रेस को गोंदिया तक ही चलाया जाए

रेलवे सलाहकार समिति ने दिया निवेदन

गोंदिया – महाराष्ट्र एक्सप्रेस को झंडी दिखाने हेतु तत्कालीन मंत्री सुरेश कलमाडी गोंदिया आए थे। तभी से महाराष्ट्र एक्सप्रेस को शेवा तक विस्तार करने का प्रस्ताव रखा या गया था। तब से सभी वर्गों द्वारा इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस एकमात्र ट्रेन है जो गोंदिया से कोल्हापुर तक चलती है। सुविधाओं की प्रतीक होने के साथ गोंदिया की शान के रुप में स्थापित है। इसका विस्तार शेवा तक करने से गोंदिया, भंडारा, नागपुर जिले के यात्रियों को काफी असुविधा होगी। यह विस्तार यात्रियों के हित में नहीं है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और इस निर्णय का विरोध करते हुए अपर मंडल प्रबंधक ए.के. सूर्यवंशी को मुख्य वाणिज्य निरीक्षक गोंदिया अरबीदकुमार शाहु की उपस्थिति में निवेदन दिया गया। साथ ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए शहर के मेन मार्केट टिकिट घर पदचारी पुल से रेलटोली की ओर जाने वाला टिकट घर यात्रियों के आवागमन के लिए पुनः बंद किया गया था। लेकिन अब जिला प्रशासन ने अनलॉक घोषित कर दिया है तथा जिले के भी मरीजों की संख्या सर्वसाधारण हो गई है। इस सकारात्मक मुद्दे को ध्यान में रखकर शहर के मेन मार्केट टिकट घर से रेलटोली की ओर जाने वाला पदचारी पुल दुबारा शुरु किये जाने की विनती सलाहकार समिति गोंदिया की ओर से की गई है। इस समय सूरज नशीने, दिव्या भगत, पारधी, लक्ष्मण लधानी, राजेंद्र कावड़े, हरीश अग्रवाल, अकील नायक, स्मिता शरणागत, भेलूमन गोपलानी, छैलबिहारी अग्रवाल उपस्थित थे।

विश्व हिंदू परिषद ने निराश्रित बच्चों के लालन-पालन के लिए जिलाधिकारी को दिया निवेदन

गोंदिया – कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अनेक परिवारों के प्रमुखों की आकस्मिक मौत होने से ऐसे परिवार के बच्चे निराश्रित हो गए हैं। ऐसे निराश्रित बच्चों के लालन पालन, शिक्षा व निवास की संपूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया।

गौरतलब है कि करोना संक्रमण महामारी के दौरान अनेक परिवारों के परिवार प्रमुख का निधन हो जाने से ऐसे परिवारों की सहायता के लिए जिलाधिकारी राजेश खवले द्वारा सामाजिक संस्थाओं को आगे बढ़कर मदद करने का आवाहन किया था। इसके अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद गोंदिया द्वारा इस महामारी काल के दौरान

निराश्रित तथा अत्यंत गरीब परिवार के बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा व निवास की व्यवस्था की अनुमति मिलने हेतु निवेदन दिया गया है। संस्था को इस प्रकार के कार्यों का उन्हें काफी अनुभव है तथा उनके मुख्य बाजार स्थित कार्यालय में इसके पूर्व पूर्वोत्तर राज्यों के निराश्रित बच्चों का लालन पालन किया गया है।

संस्था क्षरा वर्तमान में भी सेवा कार्य कर रहे हैं। कार्यालय में उनके निवास, भोजन व शौचादि की समुचित व्यवस्था है। जिसके चलते जिले के इस प्रकार के निराश्रित बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी दी जाए। इस प्रकार का निवेदन विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भिकम शर्मा, सचिन चौरसिया व अनिल हुद्दानी ने जिला अधिकारी को निवेदन देकर की है।

अब रबी धान खरीदी से हटाई गई प्रबंधनकारक नहीं वाली शर्त

पूर्व मंत्री व विधायक डॉ. फुके के पत्र पर राज्य सरकार ने ली दखल

१ **गोंदिया** – महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा विपणन सीजन के तहत रबी धान खरीदी हेतु ३१ मई २०२१ तक ऑनलाइन पंजीकरण की मर्यादा दी थी, वहीं १९ मई के इस आदेश पत्र में राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों द्वारा धान की खरीद बाध्यकारी नहीं होंगी ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया था।

राज्य सरकार के इस धान खरीदी बंधनकारक नहीं वाले आदेश से रबी धान खरीदी को लेकर किसान चिंतित थे। गोदामों की व्यवस्था न होने, धान खरीदी शुरु ना होने तथा किसानों का रबी धान खरीदी न होने पर राज्य के पूर्व मंत्री तथा भंडारा-गोंदिया विधान परिषद क्षेत्र के विधायक डॉ. परिणय फुके ने इस गंभीर किसानों के मामले पर १ जून को मुंबई मंत्रालय में अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल से भेंट कर इस किसानों पर अन्यायकारक शर्त के आदेश को त्वरित रद्द करने की मांग का निवेदन दिया था, साथ ही सरकार द्वारा इस आदेश को रद्द न करने पर तीव्र आंदोलन का ईशारा भी दिया था।

उस भेंट दौरान अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने त्वरित ही अधिकारियों के साथ बैठक लेकर इस निर्णय पर ऱख सपष्ट करने की सहमति दर्शायी थी। इस भेंट के बाद राज्य सरकार ने २ जून २१ को

यू-टर्न लेते हुए नया आदेश जारी किया है, जिसमें सरकार ने पंजीकृत किसानों से रबी धान खरीदी बाध्यकारी नहीं होगी वाली शर्त हटा दी है, तथा अब केंद्र सरकार द्वारा दी गई मर्यादा के तहत किसानों से धान खरीदी किये जाने का पत्र जारी किया है।

विधायक फुके ने कहा, २ जून को अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत लक्ष्य के भीतर धान की खरीद राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। विपणन सत्र २०२०-२१ के लिए धान की खरीद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के आधार पर की जाएगी। पत्र में लिखा है कि इसके बाद भी पंजी—त किसानों का धान रह जाता है तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से राज्य सरकार धान की खरीदी करेगी।

विधायक फुके द्वारा किसानों की ज्वलंत व गंभीर समस्या का संज्ञान लेकर राज्य सरकार को दिए निवेदन व आंदोलन के इशारे का प्रतिफल है कि राज्य सरकार को वो तुगलकी फरमान रद्द कर नया आदेश जारी करना पड़ा। उस आदेश के रद्द होने पर धान उत्पादक किसानों ने विधायक फुके का आभार मानकर खुशी जाहिर की।

विधायक सहसराम कोरोटे द्वारा खरीदी जमीन पर हमारा कब्जा

इस जमीन से हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे – पत्र परिषद में किसानों ने दी जानकारी

५ गोंदिया - आमगांव तहसील अंतर्गत ग्राम कवड़ी की गट क्रमांक २१२/१ की १७ एकड़ जमीन विधायक सहसराम कोरोटे तथा उनके बेटे दीपक कोरोटे ने खरीदी कर रजिस्ट्री की है। लेकिन इस जमीन पर हमारा गत ४० वर्षों से कब्जा है। जमीन खरीदी गई है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की जानकारी राजस्व विभाग के अधिकारी तथा विधायक द्वारा नहीं दी गई। हमें भूमिहीन किया गया है। लेकिन इस जमीन से हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की जानकारी पीड़ित किसानों द्वारा ९ जून को शासकीय विश्रामगृह में आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। इस दौरान कवड़ी निवासी चुन्नीलाल चौधरी, पोगलाल ठाकरे, कुंवरलाल पटले, रविलाल ठाकरे, सूरजलाल पटले, मेहतर टेंभुर्णीकर, अशोक डोंगरे, योगेश चौधरी, गुणीलाल चौधरी आदि उपस्थित थे।

उन्होंने पत्र परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष १९७६-७७ में जमीन मालिक सालेकसा तहसील अंतर्गत पिपरीया निवासी जसोदाबाई उईके से ३२ एकड़ जमीन ३० से ३५ किसानों द्वारा खरीदी गई थी। तब से इसी जमीन पर खेती कर परिवार का उदरनिर्वाह किया जा रहा है। सातबारा पर हमारे नाम का उल्लेख किया गया है। लेकिन यह जमीन हमें न बताते हुए जमीन मालिक जसोदाबाई उईके के वारिसदारों ने क्षेत्र के विधायक सहसराम कोरोटे व दीपक कोरोटे को बेचकर रजिस्ट्री भी कर दी। इसकी जानकारी हमें अभी हुई है। उनका कहना है कि सातबारा पर हमारा नाम का उल्लेख होने के बावजूद भी हमें एक पत्र तक भी नहीं दिया गया। जब तक हमें जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक जमीन पर से कब्जा नहीं छोडेंगे। इस तरह की भूमिका पीड़ित किसानों ने अपनाई है।

नियमों के तहत खरीदी जमीन

उपरोक्त जमीन की खरीदी नियमानुसार की गई है। इसके लिए विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए थे। मैं इन्हें नहीं जानता। उपरोक्त जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, वे बेबुनियाद है।

-सहसराम कोरोटे,
विधायक, आमगांव-देवरी

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है ऐसा नहीं है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।